न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या 105/2022 दायर दिनाँक 13.05.2022

वादी

1. मुन्नी पत्नी रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.।

बनाम्

प्रतिवादी

1. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार मौलासर
2. अमरचन्द पुत्र स्व. गुमानाराम
3. पप्पुराम पुत्र स्व. बंशीराम
4. जगदीश पुत्र स्व. बंशीराम
5. ओमप्रकाश पुत्र स्व. बंशीराम
6. सायरी पत्नी स्व. बंशीराम समस्त जाति गिवारिया निवासी मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.।

राजस्व–वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थित:–

1. श्री दानाराम भाटी वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **23.09.2025**

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मौलासर के पुराने खसरा संख्या 775/360 रकबा 0.10 बीघा जिसके नये खसरा संख्या 933 रकबा 0.08 है. अवस्थित है। जिसकी खातेदारी व कब्जा काश्त वादीनी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के नाम चला आ रहा है। राजस्व अभिलेख के नक्शा ट्रेश में वादीनी की उक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर 775/360 को उतरी पुर्वी कोने में दर्शाया गया है मगर नये खसरा नम्बर 933 को उतरी पश्चिमी कोने में दर्शाया गया जिससे उक्त जायगा के पडोस व दिशा ही गलत हो गई और वादीनी के खेत को गलत नक्शा ट्रेस में बता दिया। यद्यपि उक्त गलत नक्शा की खातेदारी तो वादीनी व प्रतिवादीगण के नाम ही रखी गई और अधिकार भी वादीनी व प्रतिवादीगण में ही निहित रहे। परन्तु उक्त नये खसरा नम्बर 933 को राजस्व अभिलेख के नक्शा ट्रेश में गलत बताने से वादीनी के विधिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ने की प्रबल संभावना हो चुकी हैं यद्यपि यह सामान्य राजस्व अभिलेख की त्रुटि मात्र है। परन्तु उक्त गलत लिपीकीय त्रुटि व राजस्व अभिलेख की भूल की वजह से वादीनी के अभिलेख पर संकट के बादल छा गये है। मौके की वास्तविक स्थिति नये ट्रेस नक्शा में दर्शाये गये खसरा संख्या 933 के अनुसार नहीं है। उक्त नक्शा में गलत रूप से प्रविष्टी करने से पूर्व राजस्व विभाग के किसी कर्मचारी व अधिकारी ने न तो कभी मौका देखा, ना कोई मौका रिपोर्ट बनायी, न कोई इसका आधार बताया तथा गलत सीमांकन करने से पूर्व सक्षम अधिकारी ने वादीनी को कोई नोटिस या सूचना नहीं दी तथा संबंधित भू प्रबंध कार्यालय सीकर में वादीनी द्वारा जानकारी करने पर ज्ञात हुआ की ऐसा कोई आदेश किसी सक्षम अधिकारी द्वारा [illegible] गया। वादीनी के उक्त राजस्व अभिलेख के नक्शा ट्रेश की [illegible] पुराने खसरा नम्बर 775/360, को ट्रेस नक्शा में दर्शाये अनुसार नये [illegible] नम्बर 933 को ट्रेस नक्शा में सही नहीं दर्शाया गया है जिसे पूर्ण रूप से विलोपित किया जाकर पुराने खसरा नम्बर 775/360, को ट्रेस नक्शा में दर्शाये अनुसार नये खसरा 933 को राजस्व अभिलेख में संशोधित किया जाना आवश्यक है। अतः वादीनी को यह वाद बाबत रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:26:30 IST
Reason: SelfAttested

वादीनी की प्रार्थना इस प्रकार है:–

वादीनी की राजस्व भूमि मौजा मौलासर की शरहद के पुराने खसरा संख्या 775/360 को ट्रेस नक्शा में दर्शाया अनुसार नये खसरा नम्बर 933 को ट्रेस नक्शा में सही नही दर्शाया गया हैं, नक्शा ट्रेस में गलत दर्शादिया। जो राजस्व नक्शों में व अभिलेख में दर्शित हैं, उक्त नये खसरे की प्रविष्टी को व नक्शा में अंकन को पूर्ण रूप से हटाया जाकर इसका नक्शा पूर्वानुसार अंकित करने की डिक्री जारी करने कृपा करें व इसी अनुरूप राजस्व अभिलेख को दुरूस्त कर नक्शा ट्रेस में प्रविष्टी को सही कर नक्शा व अभिलेख दुरूस्त करने की डिक्री वादीनी के पक्ष में जारी करने की कृपा करावें।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार मौलासर के पत्र क्रमांक/राजस्व /2024/165 दिनांक 07.03.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। सरहद मौलासर के खसरा संख्या 933 की नये नक्शा ट्रेस में दर्शायी गई स्थिति को पूर्ण रूप से हटाया जाकर पुराने खसरा संख्या 775/360 की पूराने नक्शा ट्रेस मे दर्शायी गई स्थिति के अनुसार अंकित की जाने तथा इसी अनुरूप राजस्व अभिलेख दुरूस्त करने की वादीनी इस्तदूआ कर रही है। तहसीलदार मौलासर की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 933 रकबा 0.08 हैक्टेयर किस्म बारानी 1 खातेदार बंशीराम पुत्र दूलाराम 1/2 हिस्सा जाति गिवारिया व मुन्नी पत्नी रामचन्द्र हिस्सा 1/2 जाति मेघवाल के नाम रेकर्ड दर्ज है। नवीन खसरा संख्या 933 रकबा 0.08 हैक्टेयर बारानी 1 गत भू प्रबंध के खसरा नम्बर 775/360 रकबा 0.10 बीघा से बना है व खसरा नम्बर 933/1771, 934, 935, 936/1770 गत खसरा नम्बर 360 से बना है। खसरा संख्या 775/360 रकबा 0.10 बीघा किस्म बारानी 1 पर वर्तमान में कुछ भाग पर आबादी बसी हुई है। पंजीयन दस्तावेज से राजस्व रेकर्ड में अमल किया गया, जो पंजीयन दस्तावेज के अनुसार ही नामान्तकरण संख्या 915 दिनांक 15.12.1997 के द्वारा किया गया है। पंजीयन दस्तावेज के अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में अंकन किये जाने के कारण वादीनी के रेकर्ड दुरूस्त होने के कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अतः बाद विवेचन, वादीनी का हस्तगत वाद अस्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

सरहद मौलासर के खसरा संख्या 933 की नये नक्शा ट्रेस में दर्शायी गई स्थिति को पूर्ण रूप से हटाया जाकर पुराने खसरा संख्या 775/360 की पूराने नक्शा ट्रेस मे दर्शायी गई स्थिति के अनुसार अंकित की जाने तथा इसी अनुरूप राजस्व अभिलेख दुरूस्ती बाबत वादीनी का हस्तगत वाद अस्वीकार किया जाता है।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:26:30 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनाँक **23.09.2025** को खुले इजलास सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना